नगर पालिक निगम भिलाई

मासिक पत्रिका
अक्टूबर 2023

नगर पालिक निगम भिलाई

बिना अनुमति के बिछाए जा रहे केबल को निगम ने ट्राली सहित जप्त किया

भिलाईनगर । नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में बिना अनुमति के जियो टेलिकॉम द्वारा बिछाए जा रहे आप्टिकल फाइबर केबल को निगम के भवन अनुज्ञा शाखा एवं तोड़फोड़ दस्ता की टीम ने कार्यवाही की। आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर निगम की टीम अवैध अतिक्रमण, निर्माण तथा बिना अनुमति के फाइबर केबल बिछाने वालों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। शिकायत के आधार पर भवन अनुज्ञा विभाग के अधिकारियों के साथ निगम का अमला मौके पर पहुंचा केबल बिछाने वालों से केबल बिछाने की अनुमति पत्र दिखाने को कहा तो उनके द्वारा गोल मोल जवाब देते हुए किसी प्रकार अनुमति संबंधी कोई दस्तावेज मौके पर प्रस्तुत नहीं कर सके अतः कार्यवाही के लिए पहुंची निगम की टीम ने मौके से बिछाए जा रहे केबल के साथ अन्य सामग्रियों को जप्त किया गया। गौरतलब है कि इसके पूर्व भी निगम क्षेत्र में इसके पूर्व अन्य टेलिकाॅम सर्विस कंपनी द्वारा बिना कोई अनुमति केबल बिछाने या गडढा खोदने की शिकायत मिलने पर निगम की टीम सूचना मिलते ही त्वरित कार्यवाही करने मौके पर पहुंचकर गलत ढंग से किए जा रहे कार्यो पर शिकंजा कसने मशीन आदि को जप्त बनाते हुए अर्थदण्ड भी वसूलने की कार्यवाही की गई है।

नगर पालिक निगम भिलाई

आदर्श आचार संहिता प्रभावशाली

भिलाईनगर । केन्द्रिय चुनाव आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ सम्पूर्ण प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में लगे राजनैतिक दलो के बेनर, पोस्टर, फ्लेक्स को निगम की टीम घूम-घूम कर संपत्ति विवरण नियम के तहत जप्ती की कार्यवाही करते हुए दीवार लेखन को मिटाया गया।

आयुक्त रोहित व्यास ने आदर्श आचार संहिता लागू होते ही संपत्ति विरूपण नियम को कड़ाई से लागू करने अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी को निर्देश दिये, उन्होने सभी जोन आयुक्त, सहायक राजस्व अधिकारी, जोन स्वास्थ्य अधिकारी तथा निगम के तोड़ फोड़ दस्ता को तत्काल शहर के सभी क्षेत्र से जनप्रतिनिधियों के लगे फोटो तथा राजनैतिक दलो के बेनर, पोस्टर, होल्डिंग, फ्लेक्स तथा वाल रायटिंग को हटाने को कहा। निगम की टीम जी.ई.रोड के दोनो किनारे, पावर हाउस, सुपेला, लक्ष्मीनगर, नेहरू नगर, अवंती बाई चौक, खुर्सीपार, केम्प क्षेत्र, कोहका कुरूद, टाउनशिप क्षेत्र हुड़को सहित सम्पूर्ण निगम क्षेत्र में लगे बेनर, पोस्टर, फ्लेक्स को जप्त किया तथा दीवार लेखन को गेरू से मिटाया गया। निगम के सभी कार्यालयों में लगे शासकीय योजना में जनप्रतिनिधियों के फोटो वाले पोस्टर को हटाया गया।

आयुक्त रोहित व्यास ने कहा है कि निगम क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गया है बिना अनुमति के सम्पूर्ण निगम क्षेत्र में बेनर, पोस्टर, फ्लेक्स लगाना तथा दीवार लेखन, जूलूस, रैली प्रतिबंधित किया गया है उन्होने निगम के जोन आयुक्त तथा राजस्व टीम से कहा है कि प्रतिदिन क्षेत्र में भ्रमण कर संपत्ति विरूपण नियम को प्रभावशील बनाये रखे।

आचार संहिता का पालन कराने फील्ड में उतरे निगम आयुक्त

भिलाईनगर । निगम क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के बाद आयुक्त रोहित व्यास सोमवार शाम निगम मुख्यालय सुपेला सभी जोन कार्यालय तथा शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत निगम द्वारा उतारे जा रहे राजनैतिक बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स एवं दीवार लेखन का मौका मुआयना किये और विज्ञापन एजेंसी द्वारा यूनिपोल में लगे राजनैतिक प्रचार सामग्री को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। निगम क्षेत्र में लगे बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स, दीवार लेखन सहित संपत्ति विरूपण की कार्यवाही का निरीक्षण करने देर शाम तक आयुक्त रोहित व्यास घूमते रहे इस दौरान उनके साथ अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेन्द्र मिश्रा,सहायक राजस्व अधिकारी बालकृष्ण नायडू, अनिल मेश्राम, धीरज साहू, मलखान सोरी, जगदीश तिवारी भी उपस्थित रहे। उन्होंने सुपेला , गदा चौक, गौरव पथ, छावनी चौक, शिवाजी नगर, पाॅवर हाउस, नेहरू नगर, स्मृति नगर का निरीक्षण किया इस दौरान सड़क किनारे लगे हुए छोटे होर्डिंग्स, पोस्टर का स्वंय मौके पर खड़े होकर उतरवाये, मुख्यमंत्री स्मल योजना, धनवंतरी मेडिकल में लगे फोटो पर स्टीकर लगवाया गया है। जगह जगह दीवारों पर प्रचार प्रसार के लिए चुनावी दीवार लेखन को भी मिटाया जा रहा है। इसके अलावा निगम की टीम जीई रोड, ओवर ब्रिज, सड़क किनारे बिजली पोल पर लगे छोटे होर्डिंग्स सहित संपूर्ण निगम क्षेत्र में घूम घूम कर संपत्ति विरूपण की कार्यवाही कर रहे है।

निगम के स्वच्छता कर्मियों ने भी लिया मतदान करने का संकल्प

भिलाईनगर । मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत निगम भिलाई ने विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छ संकल्प लिए। आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर अभियान के दूसरे दिन निगम के स्वच्छता कार्य में जुड़े सफाई मित्रों ने शहरवासियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में बिना किसी जाति, धर्म, भाषा के भय, लोभ में आए बिना लोकतंत्र के पर्व में शत प्रतिशत मतदान करने का संकल्प लिए। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत नवरात्र में नौ संकल्प लिया जाना है जिसके अंतर्गत आज दूसरे दिन भिलाई निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा निगम क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर सुबह 7 बजे से आगामी विधानसभा चुनाव में समाज के हर वर्ग को मतदान करने का संकल्प दिलाया गया। संजय नगर, बैकुंण्ठधाम, पाॅवरहाउस आईटीआई मैदान, सेक्टर 06 आत्मानंद स्कूल, हुडको मैदान सहित विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रम में सफाई मित्रों के साथ सुबह सुबह सैर सपाटा में निकले हुए युवाओं, महिलाओं तथा बुजुर्ग भी शामिल हुए और आगामी चुनाव में लोतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने स्वंतत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीकें से निर्वाचन करने का संकल्प लिए। इस दौरान सफाई मित्रों ने अपने मतदाता परिचय पत्र को हाथो में लेकर हर एक वोट की भूमिका और महत्व को समझाते हुए मतदान में हिस्सा लेने का संकल्प लिए।

दाह संस्कार पश्चात रखे हुए अस्थिकलश होंगे विधिवत विर्सजित

भिलाईनगर/ दाह संस्कार के बाद अपनी मुक्ति का वर्षो से बाटजोह रहे मुक्तिधााम में रखे अस्थि कलश को विधिवत विर्सजित करने स्वर्ग धाम सेवा समिति धमतरी को सौपा गया। अंतिम संस्कार हेतु रामनगर मुक्तिधाम लाए जाने के बाद बहुत से मृतक के परिजनों ने अभी तक अस्थिकलश को नहीं ले गये थे, उन सभी अस्थिकलश को विधिवत तर्पण कर विर्सजित करने स्वर्गधाम सेवा समिति धमतरी द्वारा आवेदन पत्र दिया गया था, जिस पर महापौर परिषद ने समिति के कार्य अनुभव को देखते हुए अपनी सहमति प्रदान किया था इन 40 मृतकों के थे अस्थिकलश –मृतक दुखी राम छावनी भिलाई, शोभाराज रानी, एम हनुमैया पिता एम डण्डासी क्वा. 5ए सड़क 12 सेक्टर 06, दिल्ली बिसाई पिता भीम संजय नगर सुपेला, निलांबर दलाई पिता लक्ष्मण दलाई शंकरपारा सुपेला, शिव कुमारी पति परमेश्वर, 49/9 नेहरू नगर पश्चिम, अजय यादव पिता धन्नाला यादव सपना टाॅकिज के पीछे खुर्सीपार, रंजीता बिसाई पति निरंजन कन्हाई केम्प 01 म.नं. 703, बिगुला देवी पति जमुना शाह अर्जुन नगर म. नं. 2144, राहुल शर्मा पिता विजय शर्मा म. नं. 19/ए एचएससीएल काॅलोनी रूआंबांधा, के.एस वेनु म नं. 21/ए सेक्टर 04, सुरेश अज्ञात, अमिताभ अज्ञात, अजय अग्रवाल टाटीबंध रायपुर म. नं. 936, हरि साहू पिता गुणो साहू म.नं. 2380, चंदी निषाद फरीद नगर भिलाई, रामकुमार साहू सुभाष नगर, मगरावा शंकर नगर छावनी, सोमनाथ सेक्टर 04, मिथिल ताण्डी, चंदन साव, खोगा बिसाई, यादव जी, सुनील मांझी सहित कुल 40 मृतको के अस्थि कलश थे।

भिलाई के सियान एवं वृद्धजनों ने लिया शत प्रतिशत मतदान का संकल्प

भिलाईनगर । मतदाता जागरूकता अभियान के तीसरे दिवस नवरात्र के नौ संकल्प अंतर्गत निगम भिलाई क्षेत्र के सियान सदन, वृद्धा आश्रम सहित विभिन्न क्षेत्रो में वृद्धजनो ने सियान संकल्प के तहत 17 नवम्बर को होने वाले विधानसभा निर्वाचन में शत् प्रतिशत मतदान करने का संकल्प लिया। आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर अभियान के तीसरे दिवस निगम के सियान सदन, वृद्धा आश्रम सहित विभिन्न क्षेत्रो में वृद्धजनो ने मतदान का संकल्प लिया । सियान सदन नेहरू नगर, हुड़को, प्रियदर्शिनी परिसर,आस्था वृद्धा आश्रम सेक्टर 2 एवं 8 तथा सभी जोन क्षेत्रो में नवरात्र के नौ संकल्प में सियानो ने शत प्रतिशत मतदान का संकल्प लिया।

मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में जुड़ रहे नागरिक

भिलाईनगर । विधानसभा चुनाव 2023 में शत प्रतिशत मतदान को लेकर भिलाई निगम द्वारा चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान के छटवें दिन बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और घर घर जाकर नागरिकों को मतदान करने का संकल्प दिलाए। जिला निर्वाचन कार्यालय एवं आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर नवरात्र के नौ संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की महिला समूहों, मितानीन एवं नर्सिंग का ॅलेज के विद्यार्थियों ने आगामी विधानसभा चुनाव में बिना किसी जाति, धर्म, भाषा के भय, लोभ में आए बिना लोकतंत्र के पर्व में शत प्रतिशत मतदान करने का संकल्प लिए।जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत नवरात्र में नौ संकल्प लिया जाना है जिसके अंतर्गत आज छटवें दिन स्वास्थ्य संकल्प अर्थात स्वास्थ्य सेवा में संलग्न रहने वालों को आगामी विधानसभा चुनाव में अनिवार्य रूप से मतदान करने का संकल्प दिया गया। भिलाई निगम के आजीविका मिशन के महिला समूहों के सदस्यों द्वारा निगम क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर महिला का समूह एकत्रित होकर उन्होंने मतदान हमारा अधिकार, सारे काम छोड़ दो सबसे पहले वोट दो, बिना किसी भेदभाव के, बिना कोई डर और उंच नीच जात पात से उठकर स्वच्छ मतदान करने संकल्प लिए साथ ही अपने रिश्तेदार व घर परिवार के सभी मतदाताओं को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करने का भरोसा दिलाए।

नगर पालिक निगम भिलाई

निगम क्षेत्र में नव निर्मित तलो की जाच कर नये सिरे से होगी संपत्तिकर की गणना

भिलाईनगर। निगम क्षेत्र के भवनो का संपत्तिकर, यूजर चार्ज, जल कर, भू-भाटक, दुकान किराया वसूली का कार्य राजस्व वसूली ठेका प्राप्त एजेंसी श्री पब्लिकेशन एण्ड स्टेशनर्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। एजेंसी के प्रतिनिधि भवनों में पहुॅचकर निर्मित तलो की जाॅच कर रहे है ताकि भवन मालिक द्वारा प्रस्तुत स्व विवरणी के साथ मिलान कर वास्तविक संपत्तिकर की गणना हो सके।निगम द्वारा आवासीय, व्यवसायिक एवं अन्य भवनों से राजस्व वसूली हेतु एजेंसी को अधिकृत किया गया है, एजेंसी के कर्मचारी जोन 1 के घरो में जा कर पूर्व से निर्मित भवनों में तलो की वृद्वि तथा विवरणी में बताए क्षेत्रफल की जाॅच किया जा रहा है। एजेंसी द्वारा किये जा रहे जांच में भवन मालिकों के प्रस्तुत संपत्ति के स्वविवरणी में भिन्नता आ रही है, भिलाई निगम क्षेत्र के सभी भवनों का जांच किया जाना है जिसकी शुरूआत जोन 01 के 15 वार्डों के भवनो की जांच से किया गया है। निगम प्रशासन ने क्षेत्र के भवन मालिको से अपील किया है कि भवन का स्व विवरणी भरते समय मकान में बने तलों की संख्या निर्मित कुल क्षेत्र तथा रिक्त क्षेत्र की स्पष्ट जानकारी देकर अंतर की स्थिति में लगने वाले 5 गुना शास्ति राशि के देय से बचा सकता है। निगम में संपत्तिकर राशि का भुगतान दिसंबर तक करने पर 2 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है इसका लाभ उठाए।

बिना अनुमति होर्डिंग्स बैनर लगाने वाले के विरूद्ध होगी कार्रवाई

भिलाईनगर । निगम क्षेत्र में लगे हुए यूनिपोल, भवनों के छत पर लगे हुए बड़े होर्डिंग्स और चौक चौराहो पर स्थापित एलईडी स्क्रीन पर बिना अनुमति विज्ञापन लगाए जाने पर उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा चुनाव के मददेनजर प्रभावशील आदर्श आचार संहिता को देखते हुए निगम ने सभी विज्ञापन एजेंसी को निर्देशित किया है कि किसी प्रकार से राजनैतिक विज्ञापन के लिए अनुमति लेना आवश्यक है। भिलाईनगर विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर भिलाई निगम का अमला निगम के अधिपत्य एवं एजेंसियों द्वारा निगम क्षेत्र में स्थापित सभी यूनिपोल, बड़े होर्डिंग्स और एलईडी स्क्रीन पर प्रसारित किस जाने वाले विज्ञापनों की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, निगम ने सभी विज्ञापन एजेंसियों से कहा है कि राजनैतिक विज्ञापन प्रसारित किए जाने से पूर्व स्थान, बोर्ड की संख्या एवं आकार की विधिवत अनुमति है या नहीं, होर्डिंग्स लगाने की अनुमति कितने दिनों के लिए है किस स्थान पर विज्ञापन के लिए अनुमति लिए उसकी सतत मॉनिटरिंग की जा रही है, बिना अनुमति विज्ञापन लगाए जाने पर उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। बिते सप्ताह में खुर्सीपार, जीई रोड, मुख्य मार्ग में बिना अनुमति लगाए गए बैनर और यूनिपोल के होर्डिंग्स को हटाने की कार्रवाई तोड़फोड़ दस्ता द्वारा किया गया। निगम में स्थापित चुनाव कार्यालय जनगणना विभाग की नोडल अधिकारी प्रीति सिंह ने आचार संहिता में विज्ञापन एजेंसियों को निर्देश दिए है कि छ.ग. सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 का कड़ाई से पालन करना होगा। एलईडी स्क्रीन में चलाए जा रहे विज्ञापन में किसी व्यक्ति के उपर व्यक्तिगत आक्षेप अथवा आपत्तिजनक विज्ञापन होने पर किसी भी समय दी गई अनुमति निरस्त कर दी जाएगी। इसी प्रकार संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत निजी भवनों में प्रचार प्रसार किए जाने की अनुमति भवन मालिक से प्राप्त कर विधिवत अनुमति लिया जाना भी आवश्यक होगा।

बिना अनुमति के लगे राजनैतिक झण्डे बैनर को जप्त कर रही निगम की टीम आचार संहिता का पालन कराने कि जा रही है सतत मानिटरिंग

भिलाईनगर। बिना अनुमति के सड़क किनारे लगाये गये पंडाल, भवन तथा बिजली के खंभों में लगे झण्डे को संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत हटाने की कार्यवाही कर रहे है। निगम की टीम सम्पूर्ण क्षेत्र में निगरानी करते हुए आदर्श आचार संहिता के नियमों का सख्ती से पालन कर रहे है। निगम आयुक्त रोहित व्यास ने अधिकारियों को निर्देशित किये है कि विधानसभा निर्वाचन के लिए प्रभावशील आदर्श आचार संहिता का निगम क्षेत्र में कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें, निगम के सभी जोन आयुक्त, जोन सहायक राजस्व अधिकारी, जोन स्वास्थ्य अधिकारी की टीम प्रतिदिन सुबह मॉर्निंग विजिट कर रहे है। जोन की टीम सुबह से जोन क्षेत्र का भ्रमण कर मतदान केन्द्र, बेनर, पोस्टर, दीवार लेखन, एल.ई.डी. स्क्रीन, झण्डे की जॉच कर बिना अनुमति के लगे राजनैतिक प्रचार सामग्री को जप्ती बना रहे है। इसी कड़ी में आज सुबह कोहका में सड़क के किनारे राजनैतिक दल के लोगो ने बिना अनुमति पंडाल लगाकर पार्टी का झण्डा लगा लिए थे जिसे निगम के निगरानी दल ने मौके पर पंडाल लगाने की अनुमति पत्र नहीं दिखाए जाने पर तत्काल प्रभाव से हटाया गया। खुर्सीपार वार्ड 48 के तिरंगा नगर में निर्माणाधीन शासकीय भवन में तथा बिजली खंभे पर लगाये गये राजनैतिक झण्डे, बैनर पोस्टर को हटाया गया। वार्ड 48 छावनी के मुख्य मार्ग पर बिना अनुमति तथा वार्ड 49 में पेड़ पौधों पर बांधे गये झण्डे को निगम की टीम ने जप्ती किया।

नगर पालिक निगम भिलाई

तदान बूथ का मेहंदी रचाकर महिलाओं ने कहा 17 नवंबर जरूर करे मतदान

भिलाईनगर। हाथों में मेहंदी लगाकर महिलाओं और युवतियों ने 17 नवंबर को अनिवार्य रूप से मतदान करने की अपील किए। शत प्रतिशत मतदान कराने को लेकर भिलाई निगम के द्वारा लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत मंगलवार को श्रीराम चौक खुर्सीपार स्थित सामुदायिक भवन में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की महिलाओं ने निर्वाचन विषयों पर हाथों में मेहंदी उकेरी। दोपहर 1 बजे से आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवती शामिल हुई जिन्होंने मतदान हमारा अधिकार है, देश के विकास में मतदान जरूरी है, सारे काम छोड़ दो सबसे पहले वोट दो जैसे नारे मेहंदी से उकेरे तो किसी ने मतदान बूथ, वोटिंग मशीन, चुनाव का सिंबाल, वोट फाॅर फ्यूचर की आकृति मेहंदी रचाकर हर एक वोट के महत्व को बताते हुए 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव में अनिवार्य रूप से मतदान करने की अपील किए।भिलाई निगम आयुक्त एवं भिलाईनगर विधानसभा के रिटर्निंग आफिसर रोहित व्यास के निर्देश पर नवरात्र अर्थात 15अक्टूबर से ही जागरूकता अभियान की शुरूआत करते हुए लगातार 9 दिन तक अलग अलग वर्गों को नवरात्र के 9 संकल्प के तहत मतदान करने शपथ दिलाई गई। दूसरें चरण में समाज के सभी वर्गो को ध्यान रखते हुए कहीं बाईक रैली, कहीं दौड़ का आयोजन किया जाएगा। मनोरंजक तरीके मतदाओं को जागरूक करने गीत-संगीत, मशाल यात्रा, रंगोली, दीपोत्सव जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

नगर पालिक निगम भिलाई